रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102023-249764 CG-DL-E-27102023-249764

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2023/कार्तिक 5, 1945

No. 621]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945

# मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 799(अ).—तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 की उपधारा (2) के उपबंध (बीसी) के साथ पठित धारा 9 क की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

- I. तटीय जलकृषि प्राधिकरण **अधिनियम**, 2005, नियम 4 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
- "(2) प्राधिकरण का सचिव भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा और केंद्र सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा, नियुक्ति प्रारम्भ में तीन साल की अवधि के लिए होगी जिसे आगे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और कुल संयुक्त कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं होगा और यदि प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है तो संयुक्त सचिव के रूप में उनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति की तारीख के साथ समाप्त होगा।

[फा. सं. जे-1903336/3/2021- माः(ई-18647)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

6844 GI/2023 (1)

नोट: प्रमुख नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) जीएसआर 740(अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में जीएसआर 302(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2009 और जीएसआर 280 (अ), दिनांक 23 मार्च, 2012 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया।

#### MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

#### (Department of Fisheries)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2023

**G.S.R.799(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section of section 9A read with Clause (bc) of subsection (2) of section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely:-

- I. In the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, in rule 4, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely -
- "(2) The Secretary of the Authority shall be an officer not below the rank of Joint Secretary to Government of India and shall be appointed on deputation by the Central Government through the Central Staffing Scheme by the Department of Personnel and Training (DoPT), Government of India, initially for a period of three years, which may be extended for a further period up to three years and the combined total tenure shall not exceed six years and in case the officer on deputation as Secretary attains the age of superannuation while on deputation, his tenure as Secretary shall be co-terminus with the date of superannuation."

[F. No. j-1903336/3/2021-Fy (E-18647)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R.740(E), dated 22<sup>nd</sup> December, 2005 and subsequently amended vide notification hereby G.S.R. 302 (E), dated 30<sup>th</sup> April, 2009 and G.S.R. 280 (E), dated 23<sup>rd</sup> March, 2012.